संख्या-80/2022/ ई-2095421/-71-3002-003-1-2022-03

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर,एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मीरजापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या -31 के अन्तर्गत फेज-1 के 05 मेडिकल कालेज, फेज-2 के 07 मेडिकल कालेज तथा मेडिकल कालेज, जौनपुर के 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में उपलब्ध बजट की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक "2210-05-105-03-" में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मीरजापुर, प्रतापगढ़ एवं सिद्धार्थनगर तथा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार **कुल रू0 7123.47 लाख (रू0 इकहत्तर करोड़ तेईस लाख सैंतालिस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यककतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022/231/2022, दिनांक 29.03.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
6. यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षक: 2210051050348 (मेडिकल कालेज, एटा)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	031	2210051050348 मेडिकल कालेज, एटा	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षक: 2210051050349 (मेडिकल कालेज, हरदोई)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	031	2210051050349 मेडिकल कालेज, हरदोई	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षक: 2210051050350 (मेडिकल कालेज, प्रतापगढ)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	031	2210051050350 मेडिकल कालेज, प्रतापगढ	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्षक: 2210051050351 (मेडिकल कालेज, फतेहपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050351 मेडिकल कालेज, फतेहपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षक: 2210051050352 (मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050352 मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षक: 2210051050354 (मेडिकल कालेज, गाजीपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050354 मेडिकल कालेज, गाजीपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षक: 2210051050355 (मेडिकल कालेज, मीरजापुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050355 मेडिकल कालेज,	31 सहायता अनुदान -	3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

		मीरजापुर	सामान्य (वेतन)	हजार मात्र)
	कुल			**3,63,33,000 (रुपये तीन करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षक: 2210051050381 (मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050381 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	9,08,33,000 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**9,08,33,000 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षक: 2210051050382 (मेडिकल कालेज, बस्ती)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050382 मेडिकल कालेज, बस्ती	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	9,08,33,000 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**9,08,33,000 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षक: 2210051050383 (मेडिकल कालेज, अयोध्या)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050383 मेडिकल कालेज, अयोध्या	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	9,08,33,000 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**9,08,33,000 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्षक: 2210051050384 (मेडिकल कालेज, बहराइच)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050384 मेडिकल कालेज, बहराइच	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	9,08,33,000 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**9,08,33,000 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षक: 2210051050385 (मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050385 मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	9,08,33,000 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**9,08,33,000 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षक: 2210051050386 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050386 राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	38,51,000 (रुपये अड़तीस लाख इक्यावन हजार मात्र)
	कुल			**38,51,000 (रुपये अड़तीस लाख इक्यावन हजार मात्र)**
महायोग				71,23,47,000 (रुपये इकहत्तर करोड़ तेईस लाख सैंतालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग- 1 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्याः 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर,एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मीरजापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://sha-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।